No. G-4(vi)/DJB/Dir.(A&P)/ Monsoon-2019/ **Unst. 56/CM-12**

DELHI JAL BOARD, GOVT. OF NCT OF DELHI
OFFICE OF THE DIRECTOR (ADMN. & PERSONNEL)
VARUNALAYA PHASE-II, KAROL BAGH, NEW DELHI – 110 005

Dated 21 .08.2019

To

Shri Mahendra Gupta
Dy. Secretary, (Question Branch),
Delhi Vidhan Sabha Secretariat,
Old Secretariat, Delhi – 110054.

Subject:- Vidhan Sabha Un-starred Question No. 56 due for 22.08.2019 asked by Ms. Pramila Tokas, MLA.

Sir,

Please refer to letter No. F-11(B-1)VI/2015-20/V.S./QB/2144 dated 13.08.2019 received from Dy. Secretary (QB),Delhi Vidhan Sabha, Delhi Secretariat, Delhi on the above quoted subject.

In this connection I am enclosing herewith the reply of the aforementioned Vidhan Sabha Question in so far as the Delhi Jal Board is concerned.

This issues with due approval of the competent authority.

Encl: As above.

(Paras Ram)
Director (Admn.& Personnel)
Tel. No. 23544794(O)
Email-id :- djbdirector@gmail.com

पारस राम / PARAS RAM
निदेशक (प्रशा० एवं कार्मिक)
Director (A&P)
दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली सरकार
D.J.B., Govt. of NCT of Delhi

विभाग का नाम :– दिल्ली जल बोर्ड

विभाग का पता :– निदेशक (प्रशासनिक एवं कार्मिक)

अतारांकित प्रश्न संख्या :– 56, दिंनाक :– 22.08.2019

प्रश्नकर्त्ता का नाम :– श्रीमती प्रमिला टोकस, विधायक

क्या मुख्यमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :–

क्र.	प्रश्न	उत्तर
(क)	क्या आर के पुरम विधान सभा क्षेत्र में जल बोर्ड प्रोजेक्ट विभाग द्वारा मुनिरका गांव, वसंत विहार, नानकपुरा आदि की मेन बड़ी सीवर लाइन को बदलने के लिए कोई योजना है;	क) एवंम ख) :– आर के पुरम विधान सभा क्षेत्र में जल बोर्ड प्रोजेक्ट विभाग (EE (P) SR-II) द्वारा मुनिरका गांव, वसन्त विहार की मेन सीवर लाईन बदलने की कोई योजना नहीं है बल्कि नेल्सन मंडेला रोड, कुतुब इंस्टीटूशनल एरिया रोड, आउटर रिंग रोड इत्यादि पर पुरानी सीवर लाईन का रिहैबिलिटेशन करने का कार्य होना है, जिसका वर्क आर्डर हो चुका है तथा बरसात के तुंरत बाद कार्य शुरू हो जायेगा, जो की संभवतः मार्च, 2020 तक खत्म हो जायेगा।
(ख)	यदि हाँ, तो इसे कब तक बदला जाएगा, पूर्ण विवरण दें;	
(ग)	क्या यह सत्य है कि स्थानीय विधायक के बार बार आग्रह के बाद ग्रीन पार्क से मुनीरका गाँव को पीने के पानी की मेन लाइन के बदले जाने हेतु विभाग द्वारा एस्टिमेट तैयार किए गए हैं;	दिल्ली जल बोर्ड द्वारा ऐसा कोई एस्टिमेंट तैयार नहीं किया गया है।
घ)	यदि हाँ, तो अब तक इस लाइन के न बदले जाने के क्या कारण हैं; विस्तृत विवरण दें;	उत्तर (ग) के संदर्भ में प्रश्न ही नहीं उठता।
ङ)	आरके पुरम और नानकपुरा में लगभग 60 पुरानी खराब पड़ चुकी सीवर लाइन को बदलने की सरकार की क्या योजना है;	विभाग की ऐसी कोई योजना नहीं है। समय–समय पर आवश्यकतानुसार सीवर लाईन बदलने का कार्य किया जाता है।
च)	क्या यह सत्य है कि बसंत गांव, बसंत अपार्टमेंट आदि को पानी सप्लाई करने के लिए एमवीवी कंपनी से वसंत एन्कलेव भूमिगत जलाशय जलबोर्ड को देना था;	जी हॉ।
छ)	यदि हाँ, तो इसे अभी तक न दिये जाने के क्या कारण हैं;	छ) एंव ज) :– बसंत इन्कलेव जलाशय वर्तमान में बसंत इन्कलेव में पानी सप्लाई करता है। स्कीम के अनुसार बसंत इन्कलेव क्षेत्रों को वंसत विहार जलाशय में बड़े नये पम्प लगाकर पानी देने की योजना है तथा जिसके बाद बसंत इन्कलेव जलाशय नान–पी.पी.पी. क्षेत्रों के लिए इस्तेमाल होगा। वंसत विहार के लिए नयें पम्प का डिजाईन अनुमोदन प्रक्रिया में है, जिसके लगने व चलने पर बसंत इन्कलेव जलाशय पम्प नान–पीपीपी क्षेत्रों के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा।
ज)	यह जलाशय कब तक दे दिया जाएगा, इसका पूर्ण विवरण दें;	

PTO

झ)	आर के पुरम विधानसभा के अंतर्गत आने वाले मुनीरका गांव, मुनीरका डीडीए फ्लैट, आर के पुरम सेक्टर–1, नानकपुरा, मोची गांव के यूजीआर के पंप भवनों का पुनः निर्माण कार्य कब तक शुरु किया जाएगा; विवरण सहित उत्तर दें;	पंप भवनों का पुन– निर्माण /मरमत्त के कार्यों के लिय आकलन तैयार कर लिऐ गये है। बजट आवंटन के उपरान्त इन कार्यो को इस वित्तीय वर्ष में पूरा होने की संभावना है।
ञ)	क्या यह सत्य है कि दिल्ली के सभी गाँवों में पानी का नया कनेक्शन लेने के लिए गाँव के अंदर पंजीकरण दस्तावेज फर्द मांगी जाती है परन्तु पुराना लाल डोरा की न कोई फर्द या दस्तावेज नहीं होते; और	दिल्ली जल बोर्ड द्वारा गावों में कनेक्शन लेने के लिए आवश्यक कागजातों की आवश्यकताओं का सरलीकरण किया जा चुका है | निम्न दस्तावेजों के आधार पर जल कनेक्शन स्वीकृत किया जाता है जैसे कि -: 1.फर्द, खतोनी, लाल डोरा प्रमाण पत्र विभाजन / (डपार्टीशन डी) दस्तावेज| (कोई एक) 2. आवेदक की पहचान के लिए कोई एक प्रणाणपत्र जैसे वोटर पहचान पत्र, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, विजली के कनेक्शन के कागजात, पासपोर्ट, राशन कार्ड तथा बैंक पास बुक की प्रतिलिपि संलग्न की जा सकती हैं।
ट)	यदि हाँ, तो इस समस्या के निराकरण हेतु क्या सरकार की कोई योजना है; पूर्ण विवरण दे?	अनधिकृत अधिकृत कॉलोनी /, शहरीकृत गाँव, स्लम कटरों में जल कनेक्शन स्वीकृत करने हेतु प्रक्रिया को और आसान करने के लिए एक प्रस्ताव दिल्ली जल बोर्ड के समक्ष विचाराधीन है। इसके तहत, इन इलाकों में यदि किसी वजह से पूरे दस्तावेज नहीं होने पर व उपभोक्ता के बिजली का तीन महीने का बिल यदि उसके अपने नाम पर है तो एक पहचान पत्र की प्रतिलिपि के साथ वह पानी का कनेक्शन ले सकता है |

निदेशक (प्रशासन एवं कार्मिक)

पारस राम / PARAS RAM
निदेशक (प्रशा. एवं कार्मिक)
Director (A&P)
दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली सरकार
D.J.B., Govt. of NCT of Delhi